

आवेदन देने की तिथि

1 जगत कान की तिथि
20/03/2012

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा ।

(विधि-शाखा)

जोनसन डुंगडुंग

वनाम

रामानन्द दास

वाद संख्या-एस0ए0आर0-12/2011

दिनांक-.....

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही जोनसन डुंगडुंग, पिता स्व० जाकरियस खडिया, साकिन -सलडेगा चैली टोंगरी टोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी रामानन्द दास, पिता स्व० बसंत दास साकिन-सलडेगा टोंगरी टोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिससे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है।

ग्राम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
सलडेगा टोंगरी टोली	06	1637	1.05 एकड़ में से 0.06 एकड़

यह वाद मौजा सिमडेगा सलडेगा चैली टोंगरीटोली के खाता नं० 06, प्लॉट नं० 1637 रकबा 1.05 एकड़ में से 0.06 एकड़ से संबंधित है।

वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया नोटिस का तामिला प्राप्त है। न्यायालय में आवेदक तथा विपक्षी रामानन्द दास, पिता स्व० बसंत दास अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

प्रथम पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने बहस में बतलाया कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी रामानन्द दास, पिता स्व० बसंत दास मौजा सलडेगा थाना जो जिला सिमडेगा ने अवैध कब्जा कर मकान सहन बनाकर रहते चले आ रहे हैं। यह कि विपक्षी द्वारा आवेदक के पिता को बहला फुसलाकर प्रश्नगत भूमि पर मकान सहन बना लिये है। जिससे आवेदक श्रीमान के न्यायालय में एस0ए0आर0 वाद दायर लाया है। आवेदक खतियानी रैयत इलियाजर खडिया का वंशज है। तथा पंजी 11 के रैयत जाकरियस खडिया का पुत्र है। यह कि विपक्षी के पिता ने आवेदक के पिता से एक सादा हुकुमनामा मो० 275/- (दो सौ पचहत्तर) रुपये देकर प्रश्नगत भूमि पर दखलकार 1965 ई० से तथा कच्चा मकान सहन बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं। जिसका निर्माण कार्य में अनुमानित लागत लगभग 135000.00 (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये आयी है। उक्त प्रश्नगत भूमि के एवज में आवेदक के पिताजी को बहुत रकम राशि की भुगतान की गयी है इस लिए श्रीमान से प्रार्थना है कि वर्तमान बाजार भाँडे के अनुरूप मुआवजे का निर्धारण कर आवेदक प्रश्नगत भूमि के एवज में मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। विद्वान् अधिवक्ता न्यायालय में स्पष्ट किया चूँकि आवेदक के पिता ने विपक्षी के पिता को उक्त भूमि रहने बसने के लिए आपसी सहमति से कुछ राशि प्राप्त कर बिक्री कर दिया था। इस लिए वर्तमान में विपक्षी को बेदखल करना राष्ट्रीय क्षति होगी एवं न्यायसंगत नहीं होगा। आवेदक का अनुरोध है कि वाद में प्रश्नगत जमीन को वापस दिलवाने के बदले उचित मुआवजा दिलाया जाय। ये



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव में विपक्षी से मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता ने दलील दी कि मौजा सलडेगा टोंगरी टोली के खाता नं० 06 प्लॉट नं० 1637 रकबा 1.05 एकड़ में से 0.06 एकड़ से संबंधित है। उक्त प्रश्नगत भूमि के बावत जो एस०ए०आर० वाद लाया गया है वह श्रीमान के न्यायालय द्वारा पोसनीय नहीं है, यह वाद चलने योग्य नहीं है इसके वर्तमान स्वरूप बदल चुका है यह मुकदमा खारिज होने लायक है। यह कि रामानन्द दास, का प्रश्नगत भूमि पर अडवस पोसेसन प्राप्त हो चुका है। इससे विपक्षी 1965 ई० से ही दखलकार चले आ रहे हैं यह वाद समय सीमा के द्वारा बाधित है। आवेदक को 30 वर्ष के अन्दर ही एस०ए०आर० मुकदमा दायर करना चाहिए था। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी दखल कब्जा सन 1965 ई० से ही चली आ रही है। यह अवधि लगभग 46 वर्ष हो चुकी है। यह मुकदमा चलने के काबिल नहीं है। मुकदमा खारिज योग्य है। उक्त प्रश्नगत भूमि के बावत जो रिपोर्ट अंचल अधिकारी, सिमडेगा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है उसे भी स्पष्ट है कि विपक्षी का दखल कब्जा सम्पुष्ट हो चुका है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का मकान सहन कार्य में आयी लागत को देखते हुए उसे बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा


उक्त प्रश्नगत भूमि के अलावे विपक्षी के पास जगह जमीन नहीं है। इसलिए उन्हें उक्त भूमि से बेदखल करना उचित नहीं होगा अपितु विपक्षी रामानन्द दास, आवेदक को प्रश्नगत भूमि के बदले मुआवजा राशि देने को तैयार है।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रश्नगत जमीन के आवेदक जोनसन डुंगडुंग का पिता एवं विपक्षी के पिता द्वारा कय-विक्रय किया गया है। विपक्षी उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान एवं बारी बना कर सपरिवार शांतिपूर्वक रह रहे हैं। विपक्षी लगभग 1965 ई० पूर्व से शांतिपूर्वक दखलकार हैं। आवेदक जोनसन डुंगडुंग उक्त जमीन के बदले उचित मुआवजा राशि की मांग करता है, तथा विपक्षी मुआवजा देने को तैयार है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-788 (11)/रा०, दिनांक- 23.09.2011 द्वारा सूचित किया है कि विपक्षी का मकान सहन बनाकर दखल कब्जा है। विपक्षी का 0.06 एकड़ पर 1965 ई० से कब्जा है। इस संबंध में सादा कागज पर विक्री नामा भी लिखी गई है। मकान 2001 ई० में बना है। मकान कच्चा है एवं 0.02 एकड़ पर अवस्थित है। बाकि आंगन एवं बारी है। जिसका अनुमानित कीमत 135000.00 (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये है। खतियानी रैयत इलियाजर खड़िया वल्द सुकरु खड़िया वो लोधा खड़िया पेशारन पौलुस खड़िया वो छोटा खड़िया वल्द डोम्बा खड़िया है। पंजी 11 के रैयत लोधा खड़िया वल्द पौलुस खड़िया वो जकरियस खड़िया वल्द शुकरु खड़िया है।


उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता के बहस तथा आवेदक के बयान को सुना दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जबाब का भी अवलोकन किया।


अनुसूचित विनियम 1969 के तामू होने से पूर्व से विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर दखल है, और इसमें पक्ष-विपक्ष की सहमति रही है साथ ही पास में रहने वाले दो व्यक्ति ने शपथ पत्र दायर की है। अतः यथा स्थिति रखते हुए इस वाद के आवेदक जोनसन डुंगडुंग और रामानन्द दास के आपसी सहमति एवं न्यायालय में दिये गये बयान के आधार पर प्रश्नगत भूमि का आवेदक को विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान तथा विपक्षी रामानन्द दास को को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा सलडेगा टोंगरीटोली के खाता नं० 06 प्लॉट नं० 1637 रकबा 1.05 एकड़ में से 0.04 ए० का 12,000.





Handwritten signatures and dates. One signature is dated 20/11/11. There are also some illegible handwritten notes and stamps.


00(बारह हजार) रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुल 48000.00(अडतालीस हजार) रुपये आदेश पारित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संबंधित अधिवक्ता, एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता के पहचान पर और दोनों पक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में भुगतान करें। अन्य परिस्थिति में पुनः आदेश दी जा सकती है। स्थिति यथावत रहेगी। तत्पश्चात् वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।
लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।




अधिकारी


अधिकारी

